

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से 04 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 120000/- (एक लाख बीस हजार रूपए) एवं दुर्घटना में मृत 03 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 420000/- (चार लाख बीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिकारी /श्रम अमीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० कुशमी देवी, 35, पि० वर्ग	श्री विजय भगत (पति)	102/11.02.19	ग्रा०+पो०-हरदिया, था०+प्र०-तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण	10031910 30061606	UBGB. शंकर सरैया, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर के व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० हरिशंकर शर्मा, 49, श्री बदरी शर्मा, अनु० जाति	श्रीमती उमा देवी (पत्नी)	103/11.02.19	ग्रा०-बड़हरवा, पो०-बहुरूपिया, था०+प्र०-तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण	36316338 774	भारतीय स्टेट बैंक, रघुनाथपुर SBIN0014661	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बड़ईमिस्त्री व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० मुरारी सिंह, श्री मिश्री सिंह, 47, पि० वर्ग	श्रीमती मालत देवी (पत्नी)	104/11.02.19	ग्रा०-जयसिंहपुर मौजे, पो०-बहुरूपिया, था०+प्र०-तुरकौलिया, पूर्वी चम्पारण	30476900 619	भारतीय स्टेट बैंक, तुरकौलिया SBIN0003016	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रेजा मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० मो० वजीर, 54, श्री ए गनी, सामान्य	श्रीमती जुबेदा खतुन (पत्नी)	52/22.01.2019	ग्रा०-बलथरवा, पो०-वीर छपरा, पो०+था०+प्र०-पिपराकोटी, पूर्वी चम्पारण	98810017 00013402	पंजाब नेशनल बैंक, बरियारपुर, PUNB0988100	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, पेंटर व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० मालती देवी, 48, पि० वर्ग	श्री रामचन्द्र राय (पति)	53/22.01.2019	ग्रा०+पो०-रूपनी, था०+प्र०-मधुवन, पूर्वी चम्पारण	11778944 294	भारतीय स्टेट बैंक, मधुवन, SBIN0002971	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पशुपालन व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० मुखलाल पंडित, 45, श्री सूर्यपंडित, अ० पि० वर्ग	श्रीमती कलपतिया देवी (पत्नी)	54/22.01.2019	ग्रा०-हावडी नन्हकार, पो०-हावही बाजार, था०+प्र०-हरसिद्धि, पूर्वी चम्पारण	37083279 10	CBI मोतिहारी कोर्ट लुटहॉ CBIN0280030	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, रेजा मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० जहाँगीर आलम, स्व० खलील मिर्चा, 52, पि० वर्ग	श्रीमती अमना जहाँ (पत्नी)	55/22.01.2019	ग्रा०-हावडी नन्हकार, पो०-हावही बाजार, था०+प्र०-हरसिद्धि, पूर्वी चम्पारण	23601010 0105199	आन्ध्रा बैंक बलुआ टाल, मोतिहारी ANDB0002360	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, रेजा मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 420000/-

(चार लाख बीस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-22/2019 के पृष्ठ-04/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(अनुराधा कुमारी)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-22/2019

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(अनुराधा कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० स०-22/2019-217

पटना, दिनांक :- 03-07-19


प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 420000/- (चार लाख बीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ प्रेषित/ आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/ माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


02/07/19


(अनुराधा कुमारी)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


03/07/19

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी


02/07/19

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।